



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 21—मई 27, 2011 (वैशाख 31, 1933)

No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 21—MAY 27, 2011 (VAISAKHA 31, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 2011

सं. ई-III/18(6)/08/टीएन/छूट/निरस्तीकरण--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा (4) के खंड (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एस. चटर्जी, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एतद्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (अ) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या उप.क्षे. का. 3416 दिनांक 26.10.1957 द्वारा मैसर्स बी. एण्ड सी. मिल्स लि., टीएन/29 जिसका पंजीकृत कार्यालय 106, आर्मीनियन स्ट्रीट, चैन्नै-600001 में स्थित है, मेरे समक्ष प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, पर्याप्त कारणों से, जो मैं उचित समझता हूं, को प्रदत्त छूट दिनांक 31.08.2007 से निरस्त करता हूं।

एस. चटर्जी

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक नवम्बर 2010

का.रा.बी. निगम(भर्ती)विनियम, 2010 ग्रुप 'ग' (परा-चिकित्सा) पद

सं. ए-12(11)1/2008-चि.4(आर.आर.-पी.एम.)--कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (2) के खण्ड (21) और धारा 17 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 97 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में तथा इस विषय पर पूर्व सभी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से रह गई बातों के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्वारा ग्रुप 'ग' परा चिकित्सा पदों की भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित भर्ती विनियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :--

(i) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (परा चिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 कहे जायेंगे।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान :--

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य मामले आदि :--

भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. निरहर्ता :--

ऐसा कोई व्यक्ति :--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका विवाहिती जीवित है : अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का इकरार किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि यदि महानिदेशक इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वे किसी व्यक्ति को इस विनियम से छूट दे सकते हैं।

5. स्थायीकरण विभागीय पदोन्नति समिति :--

स्थायीकरण विभागीय पदोन्नति समिति संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा तीन सदस्यी समिति के गठन द्वारा की जाएगी जिसमें संबंधित अस्पताल के अपर निदेशक/उप चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक पद का अध्यक्ष होगा।

6. ढील देने की शक्ति :--

जहाँ निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वह अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का सुस्पष्ट पूर्व अनुमोदन लेने के पश्चात, कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा व्यक्तियों के वर्ग के लिए इन विनियमों के किसी भी उपबंध में ढील दे सकते हैं।

7. अवशिष्ट मामले :--

इन विनियमों के उपबंधों के शर्ताधीन, निगम में पदों के तदनुसूची वर्ग के लिए लागू सभी विनियम और अनुदेश इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

8. अपवाद :--

इन विनियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में ढील और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

सी. एस. केदार
महानिदेशक

[illegible]

Name of the post	Number of posts	Classifications	Pay Band and Grade Pay /Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 172	Age limit for direct Recruitment	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
64. House Keeper	07 *(2008) *Subject to variation depending upon workload	Group-"C" Non-Ministerial	Pay Band -I Rs 5200- 20200 Grade Pay 2400	Not Applicable	Not Applicable	Not Exceeding 32 Years(Relaxable up to 37 Years in case of Government Servants and employees of ESI Corporation) <i>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba, District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)</i>	10+2 or equivalent qualification from a recognized Board/School with Three years experience in running of a recognized/ registered hotel <i>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified.</i> <i>Note 2 : The qualifications(s) regarding experience is / are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled castes and Scheduled Tribes if at any stage of Selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</i>
65.Auxiliary Nurse Midwife	326 *(2008) *Subject to variation depending upon workload	Group-"C" Non-Ministerial	Pay Band -I Rs 5200- 20200 Grade Pay 2400	Not Applicable	Not Applicable	Not Exceeding 32 Years(Relaxable in case of Government Servants and employees of ESI Corporation) <i>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba, District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)</i>	ESSENTIAL (i) Sr. Secondary. (ii) Diploma in Auxiliary Nursing OR Midwifery from a Central /State Govt /AICTE recognized Institution and registered as Auxiliary Nurse (iii) One year experience in the field concerned. <i>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified.</i> <i>Note 2 : The qualifications(s) regarding experience is / are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled castes and Scheduled Tribes if at any stage of Selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</i>

